—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 30 / 2022

उनवान

1. बन्नालाल पुत्र कानाराम,
2. नाबा. भोजराज पुत्र सुरजकरण संरक्षक पिता सुरजकरण,
3. सुरजकरण पुत्र कानाराम,
4. सोरभ पुत्र हरी प्रसाद,
5. हरिप्रसाद पुत्र कानाराम,
6. हीरालाल पुत्र कानाराम जातिगण गुर्जर निवासी रामसर नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थी :— जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 26.12.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 4550 रकबा 0.25 के वंर्किग खसरा नम्बर 7678 मिन जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि है, के पश्चिम दिशा में हाल खसरा नम्बर 4544 रकबा 0.03 वंर्किग खसरा नम्बर 7672 मिन किसम गै.मु. मोरी है। उक्त मोरी वंर्किग राजस्व मानचित्र में सीधी अंकित थी, किन्तु हाल राजस्व मानचित्र में मोरी के खसरा नम्बर 4544 जो कि खसरा नम्बर 4551 से पूर्व वंर्किग की भाति नही मिलती है। हाल राजस्व मानचित्र में आराजी मुतनाजा का अंकन त्रुटिपूर्ण कर दिया है। अतः वर्तमान राजस्व मानचित्र में पूर्व राजस्व नक्शा अनुसार तरमीम की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गयां। प्रार्थी द्वारा पत्रावली में हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कारण अप्रार्थी द्वारा जवाब नही पेश किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 4550 रकबा 0.25 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 4544 रकबा 0.03 किस्म गै.मु. मोरी सिचायचक खाते में दर्ज है। पत्रावली में सलंग्न पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अनुसार हाल राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण अंकन है। वर्तमान में मोके पर खसरा नम्बर

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

4550 के सामने किसी प्रकार की नाली नही है। उक्त नाली को मिटाकर खसरा नम्बर 4550 में विलय कर दिया है। साथ ही रिपोर्ट में हाल राजस्व मानचित्र में वर्किंग मानचित्र अनुसार तरमीम करना उचित बताया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हाल व पूर्व मानचित्र अनुसार भी आराजी मुतनाजा का वर्तमान राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती चाही है। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश नही किया है। नक्शा दुरूस्ती से राजहित प्रभावित नही होता है। आराजी मुतनाजा का रकबा भी जमाबंदी में परिवर्तित नही होना है। हाल राजस्व मानचित्र के अनुसार भी प्रार्थना पत्र के कथनों की ताईद होती है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आदिनांक व सही रखने, पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त करने का कर्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है। आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रार्थीगण राजस्व मानचित्र दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 4550 व 4544 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त खसरा नम्बर की आराजी का हाल व साबिक राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद